

Date 28/07/2020

Page 1 to 5

CLASS : B.A.(H) PART-2ND

Dr.

SUBJECT : POLITICAL SCIENCE

OMKUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR

PAPER : III (INDIAN GOVERNMENT
& POLITICS)

DEPTT. OF POL. SC.

CH : 5 (DIRECTIVE PRINCIPLES
OF STATE POLICY-DPSP)

D.B. COLLEGE, JAYNAGAR

LNMU, DARBHANGA

LECTURE NO. 24 (TWENTY FOUR)

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण CLASSIFICATION OF DPSP

निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों का वर्गीकरण हम ही आधारों पर कर सकते हैं -

- (1) प्रकृति के आधार पर
- (2) अध्ययन की सुविधा के आधार पर

(1) प्रकृति के आधार पर -

निर्देशक तत्वों को इसकी प्रकृति के आधार पर इन्हें तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है -

- (क) समाजवादी निर्देशक तत्व
- (ख) गांधीवादी निर्देशक तत्व
- (ग) उदारवादी निर्देशक तत्व

(क) समाजवादी निर्देशक तत्व :-

(इं) अनुच्छेद - 38 -

राज्य लोक कल्याण की अर्थवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से व्यवस्था करेगा। जैसे - आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता उपलब्ध कराना।

(ii) अनु० 39 :-

औद्योगिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण का यह एक प्रकार विभाजन है जिससे सामूहिक हित सर्वोपरि है। जैसे -

Date ___/___/___

(a) पुरुष व स्त्री दोनोंको समान कार्य के लिए समान वेतन ।

(b) महिला व पुरुष श्रमिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के दुरुपर्यायोजन हो ।

(iii) अनु०-39 A -

समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ।

(iv) अनु० 41 -

कुछ हेशाओं में कम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संरक्षित करने सम्बंधी प्रावधान हैं।

(v) अनु० 42 -

कार्य की न्यायसंगत और मानवीय हेशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध ।

(vi) अनु० 43 :-

कर्मचारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों के विकास ।

(vii) अनु० '43 A' -

उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना ।

(viii) अनु० '47' - लोगों के पेंशन स्तर व जीवन स्तर को उंचा करने तथा लोकस्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना ।

Date ___/___/___

(ख) गांधीवादी निदेशक तत्व:

(ई) अनुच्छेद 40 -

ग्राम पंचायतों का गठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व प्राधिकार देना।

(ई) अनुच्छेद 43 -

कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास।

(ई) अनुच्छेद 43ख -

सहकारी समितियों का उन्नयन। इसे 97 वें संविधान संशोधन, 2011 द्वारा जोड़ा गया।

(iv) अनुच्छेद 46 -

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य सम्बंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।

(v) अनुच्छेद 47 -

लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक मानना तथा मादक पदार्थों व इन्फिरकनशील पदार्थों के सेवन का प्रतिबंध करने का प्रयास करना।

(vi) अनुच्छेद 48 -

कृषि तथा पशुपालन की व्यवस्था आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाँवों-बेहड़ों, व अन्य दुग्ध या वाहक पशुओं की नस्लों का परिष्करण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिबंध करने के लिए कदम उठाना।

(ग) अहोवाही निदेशकत्व :

(i) अनुच्छेद 44' -

नागरिकों के लिए एक समान नागरिकवादी लागू करने का प्रयास करना।

(ii) अनुच्छेद 45' -

राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी हेतुभाष की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

(iii) अनुच्छेद 48' -

कृषि तथा पशुपालन की व्यवस्था वैज्ञानिक विधियों से करना।

(iv) अनुच्छेद 48क' -

पर्यावरण के संरक्षण व सम्बर्द्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। यह 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया।

(v) अनुच्छेद 49' -

राष्ट्रीय मंडल के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना।

(vi) अनुच्छेद 50' -

राज्य की लोक सेवाओं में सार्वजनिक से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना।

(vii) अनुच्छेद 51' -

अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अन्विष्टि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण सम्बंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास।

Date ___/___/___

- 5 -

सम्भावित प्रश्न:

भारतीय संविधान में निर्देशक तत्वों के माध्यम से किस प्रकार समाजवाद, गाँधीवाद एवं उदारवाद के संयोजन का प्रयास किया गया है?